


6  
18/24 वाकी द्वारा यह वाक 88 R/A में इस माध्यम में पेश किया  
कि वाही व प्रति सं. 1 ता 3 के नाम उक्त खाल  
सं. 203/24 की तादादी न बीघा भूमि दर्ज किया है  
उक्त न बीघा भूमि वाही की खरीद शुद्ध भूमि है  
जबकि प्रति सं. 1 ता 3 के नाम उक्त खाल में दर्ज  
जोने के कारण खाल अपवादित हो गया है इतलिन  
प्रति सं. 1 ता 3 का नाम कलमपत्र किया जावे व  
खाल दुकलत किया जावे। ससंग वाड पश बैयनामा  
दिनांक 11-6-2007 का अपलिकन किया जितने प्रति  
सं. 1 ता 3 द्वारा उक्त पुरगत भूमि का बैयनामा  
वाही लोण देवी के पक्ष में निपपाकित कराया है  
इसके अलावा स्वयं प्रतिवादी 1 ता 3 द्वारा आफर  
इकबाध दावा पेश कर उक्त तथ्यों जो वाही  
द्वारा अपने वाक में अंकित किए की पुष्टि कर  
वाक पश डिक्ली किए जाने पर सहमति की  
है। सहमति आघाट पर  वाड पश निर्णित  
किया जाता है और आदेश दिए जाते हैं कि

लगाता।

पर 1744W खाल सं. 203/21 प. न. 108/214  
सं. न. 4 कि. न. 25 प. न. 108/215 (5) कि. न.  
5, 6, 15, 16, 25 प. न. 108/216 (16) कि. न. 5  
कुल 1.744 ई. तादाही का काही भकेला खाल  
काश्तकार ई व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का  
उक्त खाल में मुलाविज उक्त वर्कित बंधना  
के एक हिस्सा नहीं है। इसलि उक्त ख  
सै प्रति सं. 1 ता 3 का नाम कलमजग  
जाता है व खाल अपवादित के दुकस्त  
जाता है इसी अनुसारा राजस्व खाता में  
की जावे। त हकीलदार हनुमानगढ आदेश  
पालना करवे। पयापकी नंबर 9 काम के  
कापिष करार की जाती है आदेश सु  
गभा।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ